राजस्थान–सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: 433 दिनांक: 18-2-2010

1. प्राचार्य / अधीक्षक
   समस्त आर्युविज्ञान महाविधालय व संबंध चिकित्सालय, ...
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ...
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला, उप जिला, सेटेलाईट अस्पताल, ...
4. समस्त ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ...
5. समस्त प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ...

विषयः– 105 जन औषधि केन्द्र, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, (कान्फेड) के माध्यम से संचालित करने के संबंध में।

आम जन को सस्ती व गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाईयाँ उपलब्ध करवाने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा जन औषधि केन्द्रों का संचालन राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि., (कान्फेड) जयपुर द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में निम्न कार्यवाही समय सीमा में करते हुए प्रगति निदेशक (जन स्वास्थ्य) को भिजवायें:–

1. मेडिकल कॉलेज स्तर पर अधीक्षक व अन्य चिकित्सालयों में पी.एम.ओ./प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सालय परिसर में उपर्युक्त स्थान एक माह की अवधि में उपलब्ध करवायेगे। अगर एन.आर.एच.एम. के तहत निर्माण हो चुका है या स्थान चिन्हित हो गया है तो हस्तान्तरित करवाने की कार्यवाही करावें।
2. जहाँ जन औषधि केन्द्र वर्तमान में संचालित है उन्हें कान्फेड को 15 दिन में हस्तांतरित कर दिया जाये।
3. जन औषधि केन्द्र खुलने के बाद चिकित्सकों द्वारा जेनेरिक दवाईयाँ ही लिखी जावे। इस क्रम में पूर्व में भी आपको पत्र क्रमांक 77–163 दिनांक 18.01.2008 द्वारा निर्देशित किया जा चुका है।
4. इन दुकानों का किराया जयपुर शहर में 1000/–रू. प्रतिमाह, जिला मुख्यालय पर 500/–रू. प्रतिमाह व ब्लॉक मुख्यालय पर 400/–रू. प्रतिमाह होगा जो एम.आर.एस. में जमा कराया जायेगा।
5. इन केन्द्रो पर आर.डी.पी.एल./भारत सरकार के पी.एस.यू. द्वारा निर्मित एवं विपणित दवाईयों की आपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर आर.डी.पी.एल. के माध्यम से की जायेगी। सर्जिकल आईटम्स एवं सर्जिकल इम्पालन्ट एवं अनुपलब्ध दवाईयाँ प्रतिस्पर्धात्मक दरों के आधार पर कान्फेड द्वारा नियमानुसार खरीदी जायेगी।
6. कान्फेड द्वारा संचालित जन औषधि केन्द्रों से क्रय की गई दवाओं का राज्य कर्मचारियों को पुर्नभरण किया जायेगा एवं पेंशनर्स को निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाने हेतु ये अधिकृत होगी।

अनुबंध पत्र सुलभ सदर्भ हेतु संलग्न है।

प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: चि०प०/जन औषधि/2010/433 दिनांक: 18-2-2010

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।

3. निजी सचिव, सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7 निजी सचिव, मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.।
8. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
9. जिला कलेक्टर ....
10. निदेशक, जन स्वास्थ्य / आर.सी.एच. / एड्स / आई.ई.सी., चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. संयुक्त निदेशक, जोन जयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर।
12. रक्षित पत्रावली ।
13. इन्चार्ज CSR. E-Mail करने हेतु

निदेशक (अस्पताल प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान सरकार, जयपुर